झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग।

सं०सं०–8 / ज० सं०(नि०)ल.सिं.राँची–20 / 2013ः–   / राँची, दिनांक–

संकल्प

चूँकि झारखण्ड राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री श्यामनाथ दुबे ने जबकि वे सहायक अभियंता,समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान अंचल–1, सम्प्रति सेवानिवृत के पद पर पदस्थापित थे, घोर अनियमितता, कदाचार, अनुशासनहीनता बरती है जैसा कि अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोपों में उल्लेख है।

अतएव झारखण्ड राज्यपाल ने यह संकल्प लिया है कि उक्त श्री श्यामनाथ दूबे तत्कालीन सहायक अभियंता संप्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए पेंशन नियमावली के नियम–43बी के तहत् विहित रीति से कार्यवाही की जाय।

2– श्री श्यामनाथ दुबे, तत्कालीन सहायक अभियंता, संप्रति सेवानिवृत से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, सेवानिवृत भा.प्र.से. विभागीय जाँच आयुक्त के समक्ष इस संकल्प प्राप्ति के दो सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करें, जिन्हें इसके द्वारा इस कार्यवाही के संचालन के लिए जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3– उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने के लिए कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार एवं कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अंचल एवं जल विज्ञान–1, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

4–प्रस्ताव में विभागीय मंत्री / मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री की सहमति प्राप्त कर ली गयी है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः– श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, से.नि. भा.प्र.से. विभागीय जाँच आयुक्त / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार एवं कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अंचल एवं जल विज्ञान–1, राँची / श्री श्यामनाथ दुबे, तत्कालीन सहायक अभियंता (से०नि०)म० नं०–301,ब्लॉक नं०–08, सेक्टर–1, खेलगाँव, पो०–बूटी मोड़, राँची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से
ह० / –
(डॉ.लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–   / राँची, दिनांक –

प्रतिलिपिः–अनुबंध की प्रति के साथ–श्री श्याम सुन्दर प्रसाद, से.नि. भा.प्र.से. विभागीय जाँच पदाधिकारी / कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, लातेहार एवं कार्यपालक अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रा०–1, राँची / श्री श्यामनाथ दुबे, से०नि० सहायक अभियंता, म० नं०–301, ब्लॉक नं०–08, खेलगाँव, पो०–बूटी मोड़, राँची–835215 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– जाँच पदाधिकारी से अनुरोध है कि वे इस कार्यवाही का निष्पादन अधिक से अधिक दो माह के अन्दर सम्पन्न कर अपना जाँच प्रतिवेदन तीन प्रतियों में सरकार को समर्पित करें। साथ ही साथ कार्यवाही से अवगत कराते रहे एवं कार्यवाही अभिलेख की एक प्रति भी भेजा जाय।

3– प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी कृपया जाँच पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उनका निदेश प्राप्त करें।

कृ०पृ०उ०

4– आरोपित पदाधिकारी यदि इस संबंध में कोई अभिलेख /कागजात देखना चाहते हैं तो अद्योहस्ताक्षरी एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से व्यक्तिगत सम्पर्क कर देख लें और हर स्थिति में अपना लिखित बयान निर्धारित अवधि के अन्दर कर दें अन्यथा बिलम्ब की सारी जिम्मेवारी उनकी होगी।

<u>अनुलग्नकः–यथावत्।</u>

ह0/–
(डॉ॰लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 1505 /राँची, दिनांकः 25/06/14

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/ संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ अवर सचिव (प्रभारी प्रशाखा–2), जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/ मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई राँची/मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण अंचल–1, राँची/ अधीक्षण अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण अंचल–1, राँची/ उप सचिव (अभि॰)–सह–नोडल पदाधिकारी/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ॰लम्बोदर महतो)
सरकार के अवर सचिव।